

14.05 hrs.

BANKING LAWS (APPLICATION TO COOPERATIVE SOCIETIES) BILL—contd.

Mr. Speaker: The House will now take up further clause-by-clause consideration* of the Bill further to amend the Reserve Bank of India Act, 1934, and the Banking Companies Act, 1949 for the purpose of regulating the banking business of certain co-operative societies and for matters connected therewith.

The question is:

"That clause 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

Clauses 4 and 5 were added to the Bill.

Clause 6 was added to the Bill.

Clauses 7 to 13 were added to the Bill.

Clause 14 (Insertion of new Part V)

The Minister of Planning (SRI B. R. BHAGAT): I move my amendment No. 3. It is a consequential one seeking to substitute "1965" for "1964."

I beg to move:

- (i) Page 6, line 6,—
for "1964" substitute "1965".
- (ii) Page 6, line 31,—
for "1964" substitute "1965".
- (iii) Page 7, line 29,—
for "1964" substitute "1965".
- (iv) Page 9, lines 31 and 32,—
omit "where there is no such central co-operative bank shares".
- (v) Page 9, line 38,—
for "1964" substitute "1965".

(vi) Page 11, line 10,—
for "1964" substitute "1965".

(vii) Page 11, line 15,—
for "1964" substitute "1965".

(viii) Page 11, line 29,—
for "1964" substitute "1965".

(ix) Page 13, line 3,—
for "1964" substitute "1965".

(x) Page 15, line 29,—
for "1964" substitute "1965".

(xi) Page 16, line 15,—
for "1964" substitute "1965".

श्री बी० शि० पाटिल (यवतमान) : अध्यक्ष महोदय, यह बैंकिंग लाज ऐप्पिकेशन टु कोऑपरेटिव सोसायटीज बिल पिछले सत्र में 18-2-65 को प्रथम वाचन के लिये यहाँ रक्खा गया था। फर्स्ट रीडिंग के वक्त जब इस पर हाउस में बहुत मतभेद हुआ तब इस पर चर्चा स्थगित हो गई थी। इतना ही नहीं कि यह कहा गया कि इस को स्थगित होना चाहिये या नहीं, बल्कि इस पर डिविजन भी हुआ था। बाद में यह बात बतलाई गई थी कि कैबिनेट इस पर विचार करेगी और इस में कुछ सेवशन्स ऐसे हैं जिन को प्रमोट कर के इस बिल को पेश किया जायेगा। लेकिन उस के बाद इस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। कोई भी प्रमोशन नहीं था।

मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बैंकिंग लाज के बारे में नोट हम को दिया है उसमें उन्होंने बैंकिंग लाज के ऊपर काफी प्रकाश डाला है। जो बैंकिंग लाज कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में लागू किए जाने हैं। उन के बारे में जो फेडरेशन के अध्यक्ष, गार्डियन साइड हैं, उनकी महमति है।

*For earlier proceedings on the Bill, see L.S. Debate, dated 18-2-65.

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा हम हाउस का प्रौर मंत्री महोदय का ध्यान हम प्रौर दिलाना चाहता हूँ कि फेडरेशन की जो मीटिंग हुई बंगलौर में, 9 फरवरी को, उसमें उन्होंने काफी रिकमेंडेशन की है। उन्होंने इस बिल में काफी प्रमोंडमेंट मुझाए हैं।

उन्होंने यह सजेशन भी दिया था कि इसका पहला उद्देश्य है डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम को लागू करना। इस बिल का मेन प्राब्लेकट यह था कि इस स्कीम का फायदा कोपरेटिव सोसाइटीज को मिले प्रौर इसलिए डिपॉजिट इंश्योरेंस कारपोरेशन ऐक्ट के प्रमोंडमेंट के लिए वहाँ रिकमेंडेशन की गयी थी। गत बार जब इस बिल पर चर्चा हुई थी तो उस वक़्त मैं ने बहुत जोर से प्रार्थना की थी कि जो डिपॉजिट इंश्योरेंस कारपोरेशन ऐक्ट है वह प्रमोंड करना चाहिए प्रौर इस डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम से को-ऑपरेटिव सोसाइटीज को फायदा मिलना चाहिए लेकिन उस पर कोई कदम नहीं उठाया गया।

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद गवर्नर ने जो मीटिंग बुलायी थी उसमें स्टेट गवर्नमेंट प्रतिनिधि ये प्रौर कोऑपरेटिव के डाइरेक्टर भी थे। उन्होंने कुछ प्रच्छे सुझाव दिए थे।

एक बात प्रौर है जो कोऑपरेटिव कानून है वह स्टेट सब्जेक्ट है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का विस्तार करना या उनको ठीक तरह से चलाना यह काम स्टेट का है। प्रौर स्टेट गवर्नमेंट के रजिस्ट्रार के मातहत ये सोसाइटीज चलती हैं। इसमें जो प्रमोंडमेंट नाया गया है उससे इसमें दो कंट्रोल हो जाते हैं। इस दूसरे कंट्रोल के कारण कुछ बातें करने में रजिस्ट्रार प्रौर गवर्नर, में मतभेद हो सकता है। जैसे शाखा खोलने का नवाब है। पहले शाखा खोलने के लिए गवर्नर की इजाजत लेने का कानून नहीं था लेकिन हम कानून में प्रव दिया है कि

प्रौर शांच खोलना हो तो गवर्नर की इजाजत लेनी चाहिए। इसमें लिखा है

"Without obtaining the prior permission of the Reserve Bank no co-operative bank shall open a new branch."

यह शांच खोलना किसान के हित की बात है। देहांत में सेंट्रल बैंक नहीं होते। उनकी शांच खोलने के लिए रिजर्व बैंक की परमिशन लेनी पड़ेगी। मैं जानता हूँ कि उन्होंने जो प्रमोंडमेंट दिए हैं प्रौर जो प्रोवाइडिया दिया है उसमें कहा है "सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक विदिन दी एरिया आफ इट्स ऑपरेशन"। लेकिन बैंक की शाखा को खोलने के बारे में गवर्नर की इजाजत लेनी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय, इसमें कई ऐंसे सबान है जिन पर मैं प्रकेला बोल नहीं सकता। मेरा यह प्रनुरोध है कि फेडरेशन की जो मीटिंग हुई थी बंगलौर में उसमें गाइगिल साइब ने जो सजेशन दिए हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए।

दो चार बातें प्रौर करनी हैं।

एक बात यह है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस कारपोरेशन ऐक्ट प्रमोंड करना चाहिए प्रौर डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम को कोऑपरेटिव बैंक पर लागू करना चाहिए।

दूसरा यह इंश्योरेंस दिलाना चाहिए कि जो मैजिनरी इसका इम्प्लीमेंटेशन करे उसको सारे काम प्राहिविधान प्रौर रेस्ट्रिक्शन के मामले में एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट प्राइ रिजर्व बैंक के द्वारा करने चाहिए। यह प्राइ नक प्रच्छा काम करना प्राया है।

इसके प्रलावा ऐसी बातों में जैसे बैंकों को कितना लोन देना चाहिए या कहां लेयर

[श्री दे० शि० पाटिल]

दालने चाहिए। हम बारे में कोई रेस्ट्रिक्शन लगाना हो तो उसके पहले स्टेट गवर्नमेंट को प्रीर रजिस्ट्रार को कंसल्ट करना चाहिए।

मेरा अगला निवेदन यह है कि जो आर्गनाइजेशन है वह देहात के हिसाब में प्रकृष्टा चले और जो डाइरेक्टर रहने हैं बैंक के उनको जो कमेटी मलाह देती है उस कमेटी में लेना चाहिए।

प्रो मेरा प्रमैडमेंट यह था :

"State Government should be consulted before action is taken under clauses 20, 21 and 36."

अध्यक्ष महोदय : आपके प्रमैडमेंट कहां हैं। मेरे पास तो नहीं है। किस क्लॉज के नीचे हैं ?

श्री दे० शि० पाटिल : I am saying that these clauses be omitted.

क्लॉज 35 (1) के बारे में जो कार्रवाई की जाए उसमें भी स्टेट गवर्नमेंट को कंसल्ट करना चाहिए। इसी तरह सेक्शन 19 के मातहत जो कार्रवाही की जाए उसमें कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रार प्रीर स्टेट गवर्नमेंट से सलाह लेनी चाहिए। प्राखिर में मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहना हूँ कि वॉल्वर की मीटिंग में गाइडिंस साहब ने जो सुझाव दिए हैं उसको ध्यान में रखकर इस बिल का इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिये।

Shri Parashar (Shivpuri): Sir, I have a constitutional and legal point for opposing the amendments moved in this Bill.

Mr. Speaker: Which amendment is he opposing?

Shri Parashar: Amendments moved for the regulation of the co-operative societies. All the amendments cannot be moved in this House. Therefore, I rise to make a point that whatever amendments are being moved for application to the co-operative societies of the banking laws....

Mr. Speaker: By the Government— in other words, that this Bill is *ultra vires*.

Shri Parashar: Exactly that is my point, so far as it relates to application to the co-operative societies. This Bill cannot be discussed in this House.

Mr. Speaker: I will allow him an opportunity to argue it. He might do it, but the ultimate decision would be that the Speaker cannot just decide whether it is *ultra vires* or otherwise. That should go to the courts and not to the Speaker. That would be the ultimate decision. Now, he might argue it.

Shri Parashar: I will argue it from another point of view. According to List II of the Seventh Schedule of the Constitution, it is the exclusive jurisdiction of the State Legislatures to enact laws on this subject and, therefore, this House will refuse to legislate on a subject which is under the exclusive jurisdiction of the State Legislature. Therefore, I oppose this Bill under article 246 of the Constitution. Again, it has been expressly excluded from List I, item No. 43 and expressly included in the State list. Therefore, it cannot be discussed here in this House. Entry 43 of list I reads:

"Incorporation, regulation and winding up of trading corporations, including banking, insurance and financial corporations but not including co-operative societies."

So, it has been expressly excluded from the jurisdiction of this House. Again, entry 32 of List II reads:

"Incorporation, regulation and winding up of corporations, other than those specified in List I, and universities; unincorporated trading, literary, scientific, religious and other societies and associations; co-operative societies."

Therefore, my humble request is that all those clauses which relate to co-operative societies should not be allowed to be discussed here. He can stress only the other amendments.

Shri Sham Lal Saraf (Jammu and Kashmir): I very much appreciate the principle behind the Bill. I feel this is the right time for introducing a Bill like this. But I would like to point out one or two things here. If the co-operative movement has failed in the country so far, it is mainly for the reason that the pattern of administration or running the co-operative societies has been very much defective. Especially the banking part has always been left in the lurch and it has never been carried on properly. That has adversely affected the progress of the co-operative movement in the country as a whole.

So far as co-operative banks are concerned, it is not clear from this Bill whether their investment policy will be administered by the co-operative department of the State or by the Reserve Bank of India. While co-operation is a State subject, banking is a Central subject. So, there is a lacuna which has to be made absolutely clear. If the administration of banking is to be left in the hands of the co-operative department of the States concerned, it will create some difficulties. I feel that the co-operative society as such may have to be separated from the banking part of it. So far as co-operative banks are concerned, it is very desirable to bring them on par with the other commer-

cial banks in the rest of the country. In that case, banks in the co-operative sector will function much more efficiently. It is not very clear from the Bill whether the co-operative banks will function under the bye-laws of the cooperative societies or under the control of the Reserve Bank, like all the rest of the banks. The hon. Minister should explain how he will remove the conflict between the two and will ensure smooth running of the banking part of the co-operative sector.

Shri B. R. Bhagat: As the long title itself says, the object of the Bill is to regulate "the banking business of certain co-operative societies and for matters connected therewith". Of course, banking comes under List I.

Mr. Speaker: So far as co-operative societies are concerned, they are the sole concern of the States. Now, you are taking out something from the purview of the cooperative societies which are the responsibility of the States, because they are in the State List.

Shri B. R. Bhagat: That is true. This matter was examined and it was decided that there is nothing *ultra vires* in it. In fact, if we look at the Bill, it will be found that non-banking activities like processing and marketing have been left out of the purview of this Bill. Care has been taken to see that only banking is incorporated in this Bill.

Shri Sham Lal Saraf: What the hon. Minister has stated will not satisfy us. That does not make the position clear. There are co-operative banks. Will they be governed by their bye-laws or according to the instructions of the Reserve Bank, like other banks? This Bill does not make clear as to how they will be separated.

Shri B. R. Bhagat: Banking business is already separate from other co-operative work. So, there is no difficulty in demarcation.

Mr. Speaker: The question is:

- (i) Page 6, line 6,—for "1964" substitute "1965".
- (ii) Page 6, line 31,—for "1964" substitute "1965".
- (iii) Page 7, line 29,—for "1964" substitute "1965".
- (iv) Page 9, lines 31 and 32,—omit "where there is no such central co-operative bank, shares".
- (v) Page 9, line 38,—for "1964" substitute "1965".
- (vi) Page 11, line 10,—for "1964" substitute "1965".
- (vii) Page 11, line 15,—for "1964" substitute "1965".
- (viii) Page 11, line 29,—for "1964" substitute "1965".
- (ix) Page 13, line 3,—for "1964" substitute "1965".
- (x) Page 15, line 29,—for "1964" substitute "1965".
- (xi) Page 16, line 15,—for "1964" substitute "1965".

The motion was adopted.

Mr. Speaker: The question is:

"That clause 14, as amended, stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clause 14, as amended, was added to the Bill.

Clause 1.—(Short title and commencement)

Amendment made:

Page 1, line 5,—for "1964" substitute "1965" (2)

(Shri B. R. Bhagat)

Mr. Speaker: The question is:

"That clause 1, as amended,

stand part of the Bill'

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

Amendment made:

Page 1, line 1,—for "Fifteenth" substitute "Sixteenth" (1)

(Shri B. R. Bhagat)

Mr. Speaker: The question is:

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

Shri B. R. Bhagat: I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed"

Mr. Speaker: Motion moved:

"That the Bill, as amended, be passed"

Shri Farashar: At this stage, I again propose to register my opposition to the passing of the Bill.

Mr. Speaker: That will be recorded.

Shri B. B. Bhagat: Even as it is, co-operative insurance comes under our Act.

Mr. Speaker: The question is (Interruptions)

The question is:

"That the Bill, as amended, be passed".

The motion was adopted.

श्री हुकूम खन् कछवाय (देवास) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह इतने महत्व का बिल पास हो रहा है। क्या मैं प्राप से पूछ सकता हूँ कि क्या यह बिना कोरम के पास होगा? इस वक्त हाउस में गजपूनि नहीं है।

अप्यक्ष महोदय : जां हो चुका है, उनको मैं नहीं ले सकता। अगर कोरम नहीं है, तो घंटी बजाई जाये।

The Belling is being rung.

14.32-4 4 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

Mr. Deputy-Speaker: Now there is quorum.

14.33 hrs.

SEEDS BILL

Mr. Deputy-Speaker: The House will now proceed with the further consideration of the following motion moved by Shri Shah Nawaz Khan on the 11th May, 1965, namely:—

"That the Bill to provide for regulating the quality of certain seeds for sale, and for matters connected therewith, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The time allotted is two hours out of which 55 minutes have already been taken. So one hour and five minutes are left.

श्री यशपाल सिंह (कंगना) : उपाध्यक्ष महोदय, जेनेरल शाहनवाज खां साहब जिम बिल को लाए हैं, उस के लिए मैं उन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेकिन कुछ ऐसा हुआ है कि अपनी खुशकहमी और गुड इन्टेन्शन में वह कुछ जरूरी बातें छोड़ गए हैं। यह धाम कहावल : बि बू टू हूँ इज प्राकन पेण्ड बिब गुड इन्टेन्शन।

सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब हमारा देश एक है, तो फिर पहले सफ्टे पर ही लिखी गई यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। इट एक्सपेक्टेंड टू बि होल्ड प्राक इंडिया एक्सपेक्ट बि स्टेट प्राक अम्बू एंड काश्मीर। हमारे श्री ग्राममान्य सराफ

का प्रदेश कितना प्यारा है, लेकिन उस को धरम कर दिया गया है। अगर बुलन्दी भी साथ रहेगी, तो मैदानों में काम हो सकेगा। इस लिए मेरा निवेदन है कि इस कानून को जम्मू और काश्मीर में भी लागू किया जाये।

जेनेरल साहब खुद बहुत बड़े काश्तकार हैं और काश्तकार की दिक्कत को समझते हैं। लेकिन कम से कम सारे हिन्दुस्तान के साथ एक जसा सलूक होना चाहिए था। मेरी समझ में नहीं आया कि राजस्थान और मद्रास को मिलाने से क्या फायदा हुआ है। कहां राजस्थान और कहां मद्रास। इस में जोन या रिजन या डिभिजन के हिसाब से नुमायंदे लिये जाने चाहिये थे, लेकिन इन वारे में राजस्थान और मद्रास को एक साथ रखा गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि इन दोनों में क्या तुक है। मद्रास के लोग चावल खाते हैं और राजस्थान के लोग बाजरा खाते हैं। दोनों में कन्वार्सिमेंट कोई मेल नहीं खाती हैं। बहुत सोचने के बाद मुझे पता चला कि कृषि मंत्री, श्री मुन्नाशरण्यम साहब, का प्रदेश मद्रास है और हमारे डिप्युटी मिनिस्टर साहब, जेनेरल शाहनवाज खां साहब का औरिजन राजस्थान में है। तो शायद दोनों मिनिस्टरों ने सोच कर अपने अपने प्रदेश रख दिये। लेकिन दोनों की प्रापम में कोई तुक नहीं है।

आज इस बात की जरूरत है कि देश की शानत को देखा जाये। जिन को लाइसेंस दिया जायेगा, वे पहले की तरह से किसान को परेशान करते रहेंगे। इस लिए बीज के लिए सिर्फ किसान को लाइसेंस देना चाहिए। किसी साहुकार या किसी तरह के डीलर को लाइसेंस देना किसान के साथ अन्याय करना होगा।

अगर मैं यह कह दूँ, तो अप्रासंगिक नहीं होगा कि तानसेन के स्कूल में हमारे डिप्युटी मिनिस्टर जैसा एक नाबिल इल्म चला गया और उस ने तानसेन में पूछा कि इन्मे-बीसीकी